

महत्वपूर्ण/ई-मेल
संख्या- 2112/आठ-3-2023

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 (अयोध्या एवं उरई को छोड़कर)।
2. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2023

विषय :- शासन के समक्ष महायोजना प्रारूप के प्रस्तुतीकरण के संबंध में।
महोदय,

कृपया प्रदेश के विकास क्षेत्रों, विनियमित क्षेत्रों, विशेष क्षेत्र विकास क्षेत्रों की महायोजना तैयार किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है। विकास प्राधिकरण, नियंत्रण प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बोर्ड से अनुमोदित होने के उपरान्त महायोजना प्रारूप शासन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है, जिसका परीक्षण शासकीय समिति द्वारा किया जाता है। शासकीय समिति की संस्तुति के उपरान्त महायोजना प्रारूप का शासन के विभिन्न स्तरों पर यथावश्कता प्रस्तुतीकरण किया जाता है। शासन स्तर पर महायोजना प्रारूप के प्रस्तुतीकरण में एकरूपता आवश्यक है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भविष्य में महायोजना प्रारूप का प्रस्तुतीकरण संलग्न टेम्पलेट के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

२१.८.२०८८

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- (2) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
- (3) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव।

शासन के समक्ष महायोजना प्रारूप के प्रस्तुतीकरण हेतु टेम्पलेट

- **स्लाइड संख्या—1 एवं 2—नगर का उद्भव एवं विकास**
 - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
 - भौगोलिक स्थिति।
 - विकास क्षेत्र का विवरण।
 - विभिन्न कालों में विकास की दिशा।
(मानचित्र एवं नगर के महत्वपूर्ण स्थलों के फोटोग्राफ्स सम्मिलित किये जाये)
- **स्लाइड संख्या—3—नगर का आर्थिक आधार**
 - नगर में क्रियान्वित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों (व्यावसायिक एवं औद्योगिक इत्यादि) का विवरण।
 - मुख्य—मुख्य सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापनाओं का विवरण।
(उच्च शिक्षा/तकनीकी/शोध संस्थान/मेट्रो एवं अन्य एम.आर.टी.एस. परियोजनाएं/आर.आर.टी.एस. परियोजनाएं/एयरपोर्ट/डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इत्यादि)
 - भविष्य में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाएं जोकि नगर के आर्थिक आधार को प्रभावित करती हों।
- **स्लाइड संख्या—4—जनसंख्या प्रक्षेपण**
 - जनसंख्या प्रक्षेपण का आधार स्पष्ट किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि यह वास्तविकता से मेल खाती हो।
- **स्लाइड संख्या—5—महायोजना प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु विजन**
 - नगर में संचालित गतिविधियों एवं नगर के आर्थिक आधार के दृष्टिगत भविष्य की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए नियत नियोजन सिद्धान्तों/प्रस्तावों का विवरण।
 - यदि भविष्य में कोई महत्वपूर्ण योजना प्रस्तावित हो, तो उसके प्रभाव का आंकलन तथा तदनुसार नियत नियोजन सिद्धान्तों/प्रस्तावों का विवरण।
 - यदि कोई महत्वपूर्ण परियोजना यथा—औद्योगिक आस्थान, एक्सप्रेस—वे इत्यादि अथवा आर्थिक गतिविधि विकास क्षेत्र से बाहर क्रियान्वित हो, तो उक्त का विकास क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन तथा तदनुसार नियत नियोजन सिद्धान्तों/प्रस्तावों का विवरण।
- **स्लाइड संख्या—6—प्रस्तावित भू—उपयोग विवरण**
 - प्रस्तावित भू—उपयोग का विवरण मानचित्र एवं पाई—चार्ट अथवा तालिका के रूप में अंकित किया जाये।

- **स्लाइड संख्या-7—पूर्व महायोजना के प्रस्तावों में विचलन (यदि कोई हो)**
 - पूर्व महायोजना के सापेक्ष प्रस्तावित महायोजना में किये गये विचलनों का विवरण औचित्य सहित अंकित किया जाये।
 - विचलनों से सम्बन्धित स्थलीय मानचित्रों का समावेश किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-8—प्रस्तावित महायोजना—मुख्य विशेषताएं एवं युक्तिपूर्ण परियोजनाएं**
 - प्रस्तावित महायोजना की मुख्य विशेषताओं का विवरण दिया जाये।
 - युक्तिपूर्ण (Strategic) परियोजनाओं को महायोजना मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-9—ट्रांसपोर्ट एवं मोबिलिटी लेयर**
 - जिन नगरों के काम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तैयार किये गये हैं, तो उक्त प्लान के प्रस्तावों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाये।
 - जिन नगरों के काम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान नहीं तैयार किये गये हैं, उन नगरों हेतु ट्रांसपोर्ट तथा मोबिलिटी (रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रक टर्मिनल, पार्किंग इत्यादि) से सम्बन्धित प्रस्तावों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाये।
 - वर्तमान स्थित एवं भविष्य में प्रस्तावित गतिविधियों को अलग-अलग रंग से प्रदर्शित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-10—इकोनॉमिक लेयर**
 - नगर में क्रियान्वित/प्रस्तावित विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक इत्यादि गतिविधियों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाये।
 - वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट (ओ.डी.ओ.पी.) योजना के अन्तर्गत जिले में उत्पादित किये जाने वाले समस्त उत्पाद तथा इनका अनुमानित टर्नओवर।
 - वर्तमान स्थित एवं भविष्य में प्रस्तावित गतिविधियों को अलग-अलग रंग से प्रदर्शित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-11—ब्लू लेयर**
 - नगर में स्थित समस्त वाटर बॉडीस (नदी, नाले, तालाब इत्यादि) तथा ड्रेनेज लाईन्स को मानचित्र प्रदर्शित किया जाये।
 - राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त तालाबों को प्रदर्शित किया जाये तथा ड्रेनेज लाईन्स वाटरशेड मैप्स पर आधारित हो।
- **स्लाइड संख्या-12—ग्रीन लेयर**
 - नगर में स्थित एवं प्रस्तावित समस्त हरित पट्टी एवं पार्कों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाये।

- वर्तमान स्थित एवं भविष्य में प्रस्तावित गतिविधियों को अलग-अलग रंग से प्रदर्शित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-13—हैरिटेज लेयर**
 - ऐतिहासिक महत्व के स्थल/धरोहर तथा धार्मिक स्थलों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाये।
 - यदि इन स्थलों हेतु महायोजना में कोई विशेष प्राविधान यथा—फसाड कन्ट्रोल इत्यादि किये गये हों, तो उसका विवरण अंकित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-14—धार्मिक क्षेत्र (यदि कोई हो)**
- **स्लाइड संख्या-15—ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के प्रस्ताव**
 - स्थानीय नगरीय निकाय से सम्पर्क स्थापित कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु क्रियाशील/प्रस्तावित प्लांट तथा डम्पिंग ग्राउण्ड के स्थान को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-16—नदी तटीय विकास**
 - जिन नगरों में नदी स्थित है, उस हेतु भारत सरकार द्वारा जारी रिवर सेन्ट्रिक प्लानिंग के सिद्धान्तों के अनुरूप प्रस्ताव मानचित्र एवं फोटोग्राफस इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाये।
 - नदी के एच.एफ.एल. (सिंचाई विभाग द्वारा सत्यापित) के अन्तर्गत कोई भी निर्माण अनुमन्य न किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-17—टी.ओ.डी. जोन्स का चिन्हांकन (05 नगरों हेतु)**
 - महायोजना मानचित्र पर टी.ओ.डी. नीति-2022 के अनुरूप टी.ओ.डी. कॉरिडोर के दोनों तरफ टी.ओ.डी. जोन्स को चिन्हांकित करते हुए प्रदर्शित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-18—सिटी डेवलपमेन्ट प्लान के प्रस्ताव (13 नगरों हेतु)**
 - सिटी डेवलपमेन्ट प्लान में चिन्हांकित परियोजनाओं को महायोजना के प्रस्तावों में सम्मिलित करते हुए प्रदर्शित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-19—सिटी लॉजिस्टिक प्लान के प्रस्ताव (07 नगरों हेतु)**
 - सिटी लॉजिस्टिक प्लान में चिन्हांकित परियोजनाओं को महायोजना के प्रस्तावों में सम्मिलित करते हुए प्रदर्शित किया जाये।
- **स्लाइड संख्या-20—महायोजना का क्रियान्वयन**
 - महायोजना में चिन्हित जोन्स को प्रदर्शित किया जाये तथा इनके जोनल प्लान्स तैयार किये जाने की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए चरण बद्ध रूप से तैयार किये जाने की समय—सारणी अंकित की जाये।

- **स्लाइड संख्या-21-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2023 में निष्पादित एम.ओ.यूज.**
 - जी.आई.एस.-2023 में निष्पादित कुल एम.ओ.यूज. के सापेक्ष अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण।
 - विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्भावित निवेश।
 - **स्लाइड संख्या-22-विकास क्षेत्र की सीमा विस्तार**
 - ऐसे क्षेत्र जिनका सीमा विस्तार किया जा रहा है/किया जाना है, की महायोजना का विवरण भाग-ख के रूप में दर्शाया जाए।
 - **स्लाइड संख्या-23-धन्यवाद**
- नोट:-** प्रस्तुतीकरण में विकास क्षेत्र में क्रियान्वित नवीनतम विकास गतिविधियों के फोटोग्राफस लगाये जाये।